"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 31 अगस्त 2007—भाद्र 9, शक 1929

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 अगस्त 2007

क्रमांक ई-1-1/2007/1/2.—श्री अवध बिहारी, भा. प्र. से. (1991), सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त, कृषि विभाग एवं गन्ना आयुक्त को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग, आयुक्त गन्ना एवं संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री मनोहर पाण्डे, भा. प्र. से. (1993) संचालक, लोक शिक्षण को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

3. श्रीमती निधि छिब्बर, भा. प्र. से. (1994) संचालक, खनिज, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, लोक शिक्षण, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के पद पर पदस्थ किया जाता है.

4. श्री के. श्रीनिवासुलु, भा. प्र. से. (एस. के.-1994) संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी एवं पदेन विशेष सचिव, योजना विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक विशेष सचिव, वित्त विभाग का अतिरिक्त कार्य भी सौंपा जाता है.

5. डॉ. मनिन्दर कौर द्विवेदी, भा. प्र. से. (1995) संचालक, कोष एवं लेखा, संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन को केवल संचालक, कोष एवं लेखा के प्रभार से मुक्त किया जाता है.

6. श्री अमीर अली, भा. प्र. से. (1996) संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

7. श्री एम. के. त्यागी, भा. प्र. से. (1997) संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग तथा विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, पुनर्वास जिला दंतेवाड़ा एवं पदेन संयुक्त सचिव, गृह विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म तथा पदेन संयुक्त सचिव, खनिज साधन विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

8. श्री अमित कटारिया, भा. प्र. से. (2004) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बेमेतरा, दुर्ग की सेवाएं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को सौंपते हुए अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कांकेर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 21 अगस्त 2007

क्रमांक ई-1-13/2006/एक/2.—श्री एम. एस. पैकरा, भा. प्र. से. (1991) को अधिसमय वेतनमान (रुपये 18400-500-22400) में पदोन्नत किया जाता है. उक्त वेतनमान का लाभ दिनांक 01-01-2007 से देय होगा. श्री पैकरा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, कोष एवं लेखा के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवराज सिंह, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2007

क्रमांक एफ 7-5/2004/1/6.—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20 मई, 2004 की कण्डिका 9, 10 एवं 11 को विलोपित किया जाय तथा कण्डिका 12. अनुश्रवण को कण्डिका-9. अनुश्रवण पढ़ा जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 अगस्त 2007

क्रमांक ई-7/5/2007/1/2.—श्री पी. दयानन्द, भा. प्र. से., सहायक कलेक्टर, सरगुजा को दिनांक 11-06-2007 से 07-07-2007 तक (27 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 9, 10-06-2007 एवं 08-07-2007 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री दयानन्द आगामी आदेश तक सहायक कलेक्टर, सरगुजा के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री दयानन्द को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दयानन्द अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 16 अगस्त 2007

क्रमांक ई-7/5/2007/1/2.—श्री सी. आर. प्रसन्ना, भा. प्र. से., सहायक कलेक्टर, रायगढ़ को दिनांक 11-06-2007 से 07-07-2007 तक (27 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 9, 10-06-2007 एवं 08-07-2007 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री प्रसन्ना आगामी आदेश तक सहायक कलेक्टर, रायगढ़ के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री प्रसन्ना को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रसन्ना अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 16 अगस्त 2007

क्रमांक 2428/1434/2007/1/2.—श्री नन्द कुमार, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 13-07-2007 से 18-07-2007 तक (06 दिवस) का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री नन्द कुमार आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री नन्द कुमार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नन्द कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2007

क्रमांक 451/683/2007/1-8/स्था.—श्री एन. के. भट्टर, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण) को दिनांक 30-7-2007 से 10-8-2007 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 29-7-2007 एवं 11, 12-8-2007 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. इनके अवकाश अवधि में श्री विजय सिंह, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अपने कार्य के साथ-साथ श्री भट्टर का कार्य संपादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री भट्टर को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण) के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. भट्टर अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण) के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2007

क्रमांक एफ 2-3/2007/1-8.—श्री जी. आर. मालवीय, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (पूल) को तत्काल प्रभाव से, अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना (योजना) विभाग पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 4 अगस्त 2007

क्रमांक एफ 2-3/2007/1-8/2634.—श्री अनिल कुमार टुटेजा (रा. प्र. से.), उप सचिव, मुख्यमंत्री, ऊर्जा एवं विमानन विभाग को आदेश दिनांक 13-06-2007 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान रुपये 14300-400-18300 में नियुक्त करने के कारण संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री, ऊर्जा एवं विमानन विभाग घोषित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 अगस्त 2007

क्रमांक 455/682/2007/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 344-345/579/2007/1-8/स्था., दिनांक 26-6-2007 द्वारा श्री सुधाकर सोनवाने, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 26-6-2007 से 18-7-2007 तक 23 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. पैरा-2, 3 एवं 4 आदेश दिनांक 26-6-2007 के अनुसार यथावत् होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 अगस्त 2007

क्रमांक एफ. 1/03/भापुसे/2001.—श्री अनिल एम. नवानी, भापुसे, अतिरिक्त महानिदेशक, छ. स. बल प्रशिक्षण एवं दूरसंचार, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को अपनी मां एवं पत्नी के उपचार एवं अतिआवश्यक पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन हेतु दिनांक 27-08-2007 से दिनांक 14-09-2007 तक (कुल 19 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही 26 अगस्त 2007 एवं 15, 16 सितंबर 2007 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. श्री अनिल एम. नवानी, भापुसे, अतिरिक्त महानिदेशक, छ. स. बल प्रशिक्षण एवं दूरसंचार, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे, जो अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त कर रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री नवानी आगामी आदेश तक अतिरिक्त महानिदेशक, छ. स. बल प्रशिक्षण एवं दूरसंचार, पुलिस मुख्यालय, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नवानी अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. शुक्ल, संयुक्त सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 जुलाई 2007

फा. क्र./5812/डी-2071/21-ब/छ. ग./07.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री भुवनेश्वर राम प्रधान, (उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी), प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर की सेवायें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 280/दो-2-2/2007/गोप./2007, दिनांक 07-07-2007 के अनुपालन में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर से लेकर विधि और विधायी कार्य विभाग, छ. ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर को सौंपता है तथा उन्हें तत्काल प्रभाव से पीठासीन अधिकारी, स्थायी लोक अदालत, रायपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 अगस्त 2007

क्रमांक-एफ 9-69/32/2005.—चूंकि राज्य सरकार ने संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश छत्तीसगढ़ द्वारा धमतरी के लिए तैयार की गई विकास योजना को नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 18 (2) के अंतर्गत अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की है.

और चूंकि राज्य शासन ने उस पर विचार करते हुए नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत कतिपय उपांतरणों के साथ प्रारूप विकास योजना को अनुमोदन प्रदान करने की सूचना क्रमांक-एफ 9-69/32/2005 दिनांक 29-08-2006 द्वारा प्रकाशित की गई तथा प्रस्तावित उपांतरण पर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये.

और अब चूंकि राज्य शासन द्वारा नीचे दिये गये अतिरिक्त उपांतरणों के साथ धमतरी विकास योजना (प्रारूप) का अनुमोदन किया जाना प्रस्तावित है. प्रस्तावित उपांतरणों पर छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 (2) के प्रावधान के अंतर्गत राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन की समयावधि में उक्त उपांतरणों से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं. प्रस्तावित उपांतरणों सहित मानचित्र सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय धमतरी के कार्यालय में निरीक्षण हेतु रखा गया है.

प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण

क्र.	ग्राम का नाम	धमतरी विकास योजना (प्रारूप) में अंकित उपयोग	नियोजन की दृष्टि से प्रस्तावित भूमि उपयोग	शासन द्वारा प्रस्तावित उपांतरण का क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	धमतरी	आमोद-प्रमोद	आवासीय	9.13	दो स्थल (5.15+3.98)
2.	बठेना	आमोद-प्रमोद	वाणिज्यिक	0.257	एक स्थल

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 अगस्त 2007

क्रमांक 639/अपा.ऊ./ऊ. वि./13/1/2007.—राज्य शासन द्वारा ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक 131/ऊर्जा/2002, दिनांक 29-08-2002 द्वारा राज्य में लघु जल विद्युत परियोजनाओं के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न सुविधाओं तथा पारदर्शी आवंटन प्रक्रिया के लिये नीति-निर्देश जारी किये गये थें, जो राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पांच साल तक प्रभावी थे. अतः एतद्द्वारा इस नीति को दिनांक 29-08-2007 से आगामी तीन वर्षों के लिये जारी रखा जाता है अर्थात् यह नीति दिनांक 28-08-2010 तक प्रभावी रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल टुटेजा, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 16 अगस्त 2007

क्रमांक.14/अ-82/2006-07/सा-1/सात.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	मंगला	1.19	आयुक्त, नगर पालिक निगम, बिलासपुर.	नाला निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 17 अगस्त 2007

क्रमांक/1785/प्र-1/भू-अर्जन/अ. वि. अ./2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुण्डरदेही	भिलाई प. ह. नं. 07	0.14	कार्यपालन अभियंता, तांदुला ज/सं संभाग, दुर्ग.	मासाभाट जलाशय हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाटन, मु. दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 26 जुलाई 2007

क्रमांक 11661/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारां (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचनां दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	घोड़बन्धा खटम्बर नाला	0.05	अनुविभागीय अधिकारी, लोक नि. वि. सेतु उप निर्माण उप संभाग, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा.	मनेन्द्रगढ़-जनकपुर मार्ग के किमी. 35/4 पर खटम्बर नाला सेतु के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 26 जुलाई 2007

क्रमांक 11661/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	भरतपुर	बड़वाही मवई सेतु	0.22	अनुविभागीय अधिकारी, लोक नि. वि. सेतु उप निर्माण उप संभाग, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा.	जनकपुर-सीधी मार्ग के मवई सेतु के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 26 जुलाई 2007

क्रमांक 11665/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	बड़े साल्ही	0.23	अनुविभागीय अधिकारी, लो.नि.वि., सेतु उपसंभाग, अम्बिकापुर, सरगुजा.	गणेशपुर - बरबसपुर - बचरापाड़ी पहुंच मार्ग पर सेतु निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खड़गवां/चिरमिरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शहला निगार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 24 अगस्त 2007

क्रमांक 8390/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती हैं कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	रतीजा	27.40	प्रबंधक, एस. टी. सी. एल. आई. कोलवासरी, कोरबा.	2×250 मेगावाट विद्युत संयंत्र स्थापना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 28 जुलाई 2007

प्रकरण क्रमांक 6/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अंत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-निरतू
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.25 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
196/1	0.05
196/2	0.03
196/3	0.07
198/1	0.32
199/1	0.60
311/1	0.22
485/2	0.31
485/5	0.04
491/1	1.15
492/5	0.26
492/6	0.14
492/9	0.20
492/11	0.29
492/12	0.42

	(1)	(2)
	492/16	0.15
योग	15	4.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एन. टी. पी. सी. सीपत परियोजना रेल पथ निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 8 अगस्त 2007

क्रमांक 12033/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सात) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-ताराबहरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.13 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	404	0.13
योग	1	0.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मनेन्द्रगढ़-जनकपुर मार्ग पर ताराबहरा केवई सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 8 अगस्त 2007

क्रमांक 12033/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सात) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कुनुक
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.11 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	06	0.11
योग	1	0.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मनेन्द्रगढ़-जनकपुर मार्ग पर कुनुक सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 8 अगस्त 2007

क्रमांक 12033/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सात) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-जनकपुर-भरतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-शेरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.26 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
48	0.26
योग 1	0.26

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मनेन्द्रगढ़-जनकपुर मार्ग पर शेरी सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शहला निगार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 16 अगस्त 2007

क्रमांक 1590/प्र.-1/अ. वि. अ./2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-सुरसुली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.16 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
709/1	0.01
728/1	0.01
712	0.08
728/2	0.02
727	0.03
728/3	0.01
योग	0.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सेतु निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 17 अगस्त 2007

क्रमांक 1787/प्र.-1/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-पाटन
- (ग) नगर/ग्राम-धुमा, प. ह. नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.214 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
17/9	0.405
17/16	0.809
योग 2	1.214

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कसही जलाशय हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी-(रा.), पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, अध्यक्ष बालयर चालन इंजीनियर परीक्षक मंडल एवं मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2007

क्रमांक मुनिवा/परीक्षा/2924/2007.—दिनांक 21 जून से 23 जून-2007 को भिलाई में संपन्न हुई बायलर चालन इंजीनियर की परीक्षा में सफल परीक्षार्थियों की सूची निम्नानुसार है :—

क्रमांक (1)	अनुक्रमांक (2)	परीक्षार्थी का नाम (3)	पिता का नाम (4)	स्थान (5)
1.	2	श्री विपुल कुमार सोलंकी	श्री दयाराम भाई सोलंकी	कैमोर
2.	3	श्री संजय कुमार वर्मा	श्री रामानुज वर्मा	रायपुर
3.	4	श्री विवेक कुमार बघेल	श्री ए. के. बघेल	बैकुंठ
4.	8	श्री अवधेश कुमार	श्री सरमन लाल	रायगढ़
5.	9	श्री राकेश गरी	श्री वेद अमृत गरी	रायगढ़
6.	10	श्री सुबोध दवे	श्री सुरेन्द्र दवे	रायगढ़
7.	14	श्री वेमु जयपाल	श्री वी. ननचारायया	कोरबा
8.	15	श्री संजीव कुमार सिंह	श्री सी. एम. ठाकुर	कोरबा
9.	17	श्री नवीन कुमार शुक्ला	स्व. श्री हरीशंकर शुक्ला	भिलाई
10.	18	श्री डोमनलाल चन्द्राकर	श्री एन. आर. चन्द्राकर	भिलाई
11.	19	श्री राजेश कुमार	श्री मेहरचंद	जामुल
12.	22	श्री सत्यप्रकाश पांडे	श्री के. पी. पांडे	सम्बलपुर
13.	25	श्री अभिजीत पाल	श्री के. सी. पाल	रायपुर
14.	26	श्री राजेश कुमार सिंह	श्री साधुचरण सिंह	रायपुर
15.	29	श्री बृजेश मिश्रा	श्री रामगोपाल मिश्रा	रायपुर
16.	33	श्री दशमंतराव देवीशिवा प्रसाद	श्री भास्करा राव	बलौदा बाजार
17.	34	श्री अब्दुल लतीफ शेख	श्री अब्दुल मलीक शेख	इंदौर
18.	37	श्री अनिल कुमार कश्यप	श्री छबीलाल कश्यप	बैकुंठ
19.	41	श्री सच्चिदानंद प्रसाद वर्मा	श्री जगदीश प्रसाद वर्मा	रायगढ़
20.	42	श्री हेमंत कुमार कश्यप	श्री बी. आर. कश्यप	रायगढ़
21.	46	श्री मनीष पी. मथई	श्री के. पी. मथई	कोरबा
22.	47	श्री रवीन्द्र नाथ सरकार	स्व. श्री रमेशचन्द्र सरकार	कोरबा
23.	60	श्री जावेद अहमद अंसारी	श्री सफीक अहमद अंसारी	रायपुर
24.	66	श्री विरेन्द्र कुमार टिकारिया	श्री जे. एल. टिकारिया	रायपुर
25.	73	श्री अमित कुमार	श्री सुरेन्द्र कुमार प्रसाद	कैमोर
26.	79	श्री श्रीकांत सुधाकर कुलकर्णी	श्री सुधाकर जे. कुलकर्णी	रायगढ़
27.	80	श्री अंबरीश महाजन	श्री बालकृष्णा महाजन	रायगढ़
28.	81	श्री अभिलाष सरकार	स्व. श्री आशीष सरकार	रायगढ़
29.	82	श्री विजय कुमार सिन्हा	श्री पी. आर. सिन्हा	रायगढ़
30.	83	श्री मनु के.	श्री एम. कृष्णन नम्बुदरी	रायगढ़
31.	93	श्री अलोक कुमार गुप्ता	श्री नरेश चन्द्र गुप्ता	रायगढ़
32.	95	श्री सचिकांत नायक	श्री सुखदेव नायक	रायगढ़
33.	96	श्री सत्यपाल सिंग	श्री बलराम सिंग	रायगढ़
34.	98	श्री जीवन लाल देवांगन	श्री लक्ष्मण देवांगन	कोरबा
35.	99	श्री चन्द्रहास देवांगन	श्री विष्णु प्रसाद देवांगन	कोरबा
36.	102	श्री कौशल कुमार देवांगन	श्री एस. आर. देवांगन	कोरबा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
37.	105	श्री गोपाल प्रसाद पटेल	श्री धनुर्धर पटेल	कोरबा
38.	108	श्री जेनेन्द्र कुमार गायकवाड़	श्री डी. सी. गायकवाड़	कोरबा
39.	109	श्री योगेश कुमार साहू	श्री चोखे लाल साहू	कोरबा
40.	110	श्री राहुल पांडे	स्व. श्री गजेन्द्र प्रसाद पांडे	कोरबा
41.	115	श्री नितिन अग्रवाल	श्री नरसिंग प्रसाद अग्रवाल	कोरबा
42.	116	श्री नीरज त्रिपाठी	श्री श्याम नाथ त्रिपाठी	रायगढ़
43.	121	श्री एम. ए. लिमजे	श्री आनंदराव लिमजे	कोरबा
44.	123	श्री राजेन्द्र कुमार कौशिक	श्री कृष्ण लाल कौशिक	चांपा
45.	126	श्री रवि गुप्ता	श्री चन्दन लाल गुप्ता	जामुल
46.	127	श्री तारकेश्वर प्रसाद	श्री एस. एस. प्रसाद	जामुल
47.	128	श्री रविशंकर तिवारी	श्री ओमकार प्रसाद तिवारी	जामुल

Raipur, the 10th July 2007

No. मुनिवा/परीक्षा/2924/2007.—The Name of candidates declared as passed in Boiler Operation Engineer Examination held at Bhilai on 21 June to 23 June 2007 are as under :—

S. No. (1)	Roll No. (2)	Name of Condidate (3)	Father's name (4)	Place (5)
1.	2	Shri Vipul Kumar Solanki	Shri Daya Bhai Solanki	Kymore
2.	3	Shri Sanjay Kumar Verma	Shri Ramanuj Verma	Raipur
3.	4	Shri Vivek Kumar Baghel	Shri A. K. Baghel	Baikunth
4.	8	Shri Awadesh Kumar	Shri Sarman Lal	Raigarh
5.	9	Shri Rakesh Gari	Shri Ved Amrit Gari	Raigarh
6.	10	Shri Subodh Dave	Shri Surendra Nath Dave	Raigarh
7.	14	Shri Vemu Jaypaul	Shri V. Nancharaiya	Korba
8.	15	Shri Sanjeev Kumar Singh	Shri C. M. Thakur	Korba
9.	17	Shri Naveen Kumar Shukla	Late Shri Harishankar Shukla	Bhilai
10.	18	Shri Doman Lal Chandrakar	Shri N. R. Chandrakar	Bhilai
11.	19	Shri Rajesh Kumar	Shri Meharchand	Jamul
12.	22	Shri Satya Prakash Pandey	Late Sh. K. P. Pandey	Sambalpur
13.	25	Shri Abhijit Paul	Shri K. C. Paul	Raipur
14.	26	Shri Rajesh Kumar Singh	Shri Sadhu Sharan Singh	Raipur
15.	29	Shri Brijesh Mishra	Shri Ram Gopal Mishra	Raipur
16.	33	Shri DS Prasad Dasamantha Rao	Shri Bhaskara Rao	Baloda Bazar
17.	34	Shri Abdul Latif Sheikh	Shri Abdul Malik Sheikh	Indore
18.	37	Shri Anil Kumar Kashyap	Shri Chhabilal Kashyap	Baikunth
19.	41	Shri Sachchidanand Verma	Shri Jagdish Prasad Verma	Raigarh
20.	42	Shri Hemant Kumar Kashyap	Shri D. R. Kashyap	Raigarh
21.	46	Shri Maneesh P. Mathai	Shri K. P. Mathai	Korba
22.	47	Shri Rabindra Nath Sarkar	Late Shri R. C. Sarkar	Korba
23.	60	Shri Javed Ahmed Ansari	Shri Shafique Ahmed Ansari	Raipur
24.	66	Shri Virendra Kumar Tikariha	Shri J. L. Tikariha	Raipur
25.	73	Shri Amit Kumar	Shri Surendra Kumar Prasad	Kymore
26.	79	Shri Shrikant Sudhakar Kulkarni	Shri Sudhakar J. Kulkarni	Raigarh
27.	80	Shri Ambarish Mahajan	Shri Balakrishna Mahajan	Raigarh
28.	81	Shri Abhilash Sarkar	Late Shri Ashish Sarkar	Raigarh
29.	82	Shri Vijay Kumar Sinha	Shri P. R. Sinha	Raigarh
30.	83	Shri Manu K.	Shri M. Krishnan Nambudri	Raigarh
31.	93	Shri Ashok Kumar Gupta	Shri Naresh Chandra Gupta	Raigarh
32.	95	Shri Sachikanta Nayak	Shri Shukhdev Nayak	Raigarh
33.	96	Shri Satya Pal Singh	Shri Balram Singh	Raigarh
34.	98	Shri Jeevan Lal Dewangan	Shri Laxman Dewangan	Korba
35.	99	Shri Chandrahas Dewangan	Shri Vishnu Prasad Dewangan	Korba

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
36.	102	Shri Kaushal Kumar Dewangan	Shri S. R. Dewangan	Korba
37.	105	Shri Gopal Prasad Patel	Shri Dhanurdhar Patel	Korba
38.	108	Shri Jainendra Kumar Gaikwad	Shri D. C. Gaikwad	Korba
39.	109	Shri Yogesh Kumar Sahu	Shri Chokhelal Sahu	Korba
40.	110	Shri Rahul Pandey	Late Shri Gajendra Prasad Pandey	Korba
41.	115	Shri Nitin Agrawal	Shri Narsigh Prasad	Korba
42.	116	Shri Neeraj Tripathi	Shri Shyam Nath Tripathi	Raigarh
43.	121	Shri Murlidhar Anandrao Limje	Shri Anandrao Limje	Korba
44.	123	Shri Rajendra Kumar Kaushik	Shri Krishna Lal Kaushik	Champa
45.	126	Shri Ravi Gupta	Shri Chandan Lal Gupta	Jamul
46.	127	Shri Tarkeswar Prasad	Shri S. S. Prasad	Jamul
47.	128	Shri Ravi Shankar Tiwari	Shri Omkar Prasad Tiwari	Jamul

अविनाश भटनागर,
सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, कोरबा (छ. ग.)

कोरबा, दिनांक 7 अगस्त 2007

क्रमांक/2097-2100/बंधुआ श्रमिक/2007.—बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधि. 1976 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत जिला स्तरीय सतर्कता समिति हेतु निम्नांकित शासकीय एवं अशासकीय सदस्यों का पुनर्गठन किया जाता है.

1.	जिला दण्डाधिकारी	-		कलेक्टर कोरबा की अनुपस्थिति में
2.	उनके द्वारा मनोनित व्यक्ति, अध्यक्ष	-		अति. कलेक्टर
3.	जिले में निवासरत अनु. जाति/जनजाति के तीन व्यक्ति	-	1.	श्री प्रमोद रामदास-सिंचाई कालोनी कोरबा (अनुसूचित जाति)
			2.	श्री फुलसिंह राठिया, कोरबा द्वारा तह. करतला जिला-कोरबा (अनु. जनजाति)
			3.	श्री पीताम्बर सिंह कंवर, ग्रा. पो. भैसमा, तह. कोरबा (अनु. जनजाति)
4.	राज्य शासन द्वारा मनोनित अधिकारी	-	1.	पुलिस अधीक्षक, कोरबा
			2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरबा.
			3.	सहा. आयुक्त, आदिवासी विकास, कोरबा
5.	जिले में निवास करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता	-	1.	ब्यूरो चीफ, नवभारत, जिला-कोरबा.
			2.	ब्यूरो चीफ, दैनिक भास्कर, जिला-कोरबा
			3.	ब्यूरो चीफ, हरिभूमि, जिला-कोरबा
			4.	अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, कोरबा
6.	जिले में कार्यरत बैंक अधिकारी	-	1.	शाखा प्रबंधक, राज्य सहकारी बैंक, कोरबा
7.	समिति का संयोजक	-	1.	सहायक श्रम आयुक्त, कोरबा (छ. ग.)

अशोक अग्रवाल,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा), जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छत्तीसगढ़)

दन्तेवाड़ा, दिनांक 24 मार्च 2007

क्रमांक/39/भू. अ./अ. भू. अ./हल्का पुनर्गठन/2007.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं के. आर. पिस्दा, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा एतद्द्वारा तहसील कोंटा के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं :—

सूची

क्र.	तहसील का नाम	रा. नि. मं. का नाम	प. ह. नं. व पटवारी मुख्यालय ग्राम का नाम	पटवारी हल्के में सम्मिलित ग्रामों का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कोन्टा	छिन्दगढ़	1-डब्बा	डब्बा	डब्बा
2.	--,,--	--,,--	--,,--	पुसगुन्ना	पुसगुन्ना
				योग 02	
1.	--,,--	--,,--	2-कुन्ना	कुन्ना	कुन्ना
2.	--,,--	--,,--	--,,--	धनीकोड़ता	--,,--
				योग 02	
1.	--,,--	--,,--	3-कुन्दनपाल	कुन्दनपाल	कुन्दनपाल
2.	--,,--	--,,--	--,,--	फनदीवाया	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	चुलेरास	पुसगुन्ना
4.	--,,--	--,,--	--,,--	डोलेरास	डोलेरास
				योग 04	
1.	--,,--	--,,--	4-मिचवार	मिचवार	मिचवार
2.	--,,--	--,,--	--,,--	गरीपाल	--,,--
				योग 02	
1.	--,,--	--,,--	5-गोरली	गोरली	गोरली
2.	--,,--	--,,--	--,,--	नयानार	--,,--
				योग 02	
1.	--,,--	--,,--	6-पेन्दलनार	पेन्दलनार	पेन्दलनार
2.	--,,--	--,,--	--,,--	रासावाया	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	मुठेली	--,,--
4.	--,,--	--,,--	--,,--	इत्तागुफा	--,,--
5.	--,,--	--,,--	--,,--	केरातोंग	केरातोंग
6.	--,,--	--,,--	--,,--	महिमा	--,,--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	कोन्टा	छिन्दगढ़	6- पेन्दलनार	इरपा	डोलेरास
8.	--,,--	--,,--	--,,--	मुण्डुम	--,,--
				योग 08	
1.	--,,--	--,,--	7-पालेम	कावराकोपा	कावराकोपा
2.	--,,--	--,,--	--,,--	सगुनघाट	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	पालेम	पालेम
4.	--,,--	--,,--	--,,--	साडरापाल	--,,--
				योग 04	
1.	--,,--	--,,--	8-तोंगपाल	हमीरगढ़	हमीरगढ़
2.	--,,--	--,,--	--,,--	जैमेर	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	तोंगपाल	तोंगपाल
4.	--,,--	--,,--	--,,--	पेरमारास	पेरमारास
5.	--,,--	--,,--	--,,--	लिटीरास	--,,--
6.	--,,--	--,,--	--,,--	मारेंगा	मारेंगा
7.	--,,--	--,,--	--,,--	लेंदा	लेंदा
				योग 07	
1.	--,,--	--,,--	9-चितलनार	चितलनार	चितलनार
2.	--,,--	--,,--	--,,--	मुण्डवाल	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	कुमाकोलेंग	कुमाकोलेंग
4.	--,,--	--,,--	--,,--	चिडपाल	चिडपाल
5.	--,,--	--,,--	--,,--	कोकालपाल	--,,--
6.	--,,--	--,,--	--,,--	चिऊरवाड़ा	चिऊरवाड़ा
7.	--,,--	--,,--	--,,--	बांढनपाल	--,,--
				योग 07	
1.	--,,--	--,,--	10-किकिरपाल	ओलेर	ओलेर
2.	--,,--	--,,--	--,,--	किकिरपाल	किकिरपाल
3.	--,,--	--,,--	--,,--	तुमकपाल	--,,--
4.	--,,--	--,,--	--,,--	नेतानार	नेतानार
5.	--,,--	--,,--	--,,--	जंगमपाल	--,,--
				योग 05	
1.	--,,--	--,,--	11-पुसपाल	पूसपाल	पूसपाल
2.	--,,--	--,,--	--,,--	किन्दरवाड़ा	किन्दरवाड़ा
3.	--,,--	--,,--	--,,--	सुर्रेपाल	--,,--
4.	--,,--	--,,--	--,,--	मेखावाया उर्फ भोपावाड़ा	मेखावाया उर्फ भोपावाड़ा
				योग 04	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कोन्टा	छिन्दगढ़	12-तालनार	गुम्मा	गुम्मा
2.	--,,--	--,,--	--,,--	तालनार	तालनार
3.	--,,--	--,,--	--,,--	सीतापाल	ओलेर
				योग 03	
1.	--,,--	--,,--	13-छिन्दगढ़	कोडरीपाल	कोडरीपाल
2.	--,,--	--,,--	--,,--	कवासीरास	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	गंजेनार	गंजेनार
4.	--,,--	--,,--	--,,--	छिंदगढ़	छिंदगढ़
5.	--,,--	--,,--	--,,--	पुजारीपाल	धोबनपाल
				योग 05	
1.	--,,--	--,,--	14-उरमापाल	उरमापाल	उरमापाल
2.	--,,--	--,,--	--,,--	गुडरा	गुडरा
3.	--,,--	--,,--	--,,--	पतिनाईकरास	पतिनाईकरास
4.	--,,--	--,,--	--,,--	छुरागट्टा	--,,--
5.	--,,--	--,,--	--,,--	धोबनपाल	धोबनपाल
				योग 05	
1.	--,,--	--,,--	15-रोकेल	अन्दुमपाल	केरातोंग
2.	--,,--	--,,--	--,,--	बकुलाघाट	कांज़ीपानी
3.	--,,--	--,,--	--,,--	रेड्डीपाल	--,,--
4.	--,,--	--,,--	--,,--	रोकेल	रोकेल
				योग 04	
1.	--,,--	--,,--	16-पाकेला	कांजीपानी	कांजीपानी
2.	--,,--	--,,--	--,,--	चिपुरपाल	चिपुरपाल
3.	--,,--	--,,--	--,,--	चिकारास	--,,--
4.	--,,--	--,,--	--,,--	हिकमीरास	--,,--
5.	--,,--	--,,--	--,,--	बिरसठपाल	बिरसठपाल
6.	--,,--	--,,--	--,,--	रतिनाईकरास	--,,--
7.	--,,--	--,,--	--,,--	पाकेला	पाकेला
8.	--,,--	--,,--	--,,--	राजामुण्डा (व. ग्रा.)	मुर्रेपाल
9.	--,,--	--,,--	--,,--	उदलातराई (व. ग्रा.)	--,,--
				योग 09	
1.	--,,--	--,,--	17-पोंदुम	अतकारीरास	अतकारीरास
2.	--,,--	--,,--	--,,--	भण्डाररास	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	पोन्दुम	पोन्दुम

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	कोन्टा	छिन्दगढ़	17-पोन्दुम	चौपेल	बिरसठपाल
5.	--,,--	--,,--	--,,--	मुर्रेपाल	मुर्रेपाल
				योग 05	
	राजस्व निरीक्षक मंडल का योग		17 पटवारी हल्का	78 ग्राम	43 ग्राम पंचायत
1.	कोन्टा	सुकमा	18-जीरमपाल	जीरमपाल	जीरमपाल
2.	--,,--	--,,--	--,,--	रामपुरम	रामपुरम
3.	--,,--	--,,--	--,,--	डांडाबाडी	नागारास
				योग 03	
1.	--,,--	--,,--	19-बुड़दी	बुड़दी	बुड़दी
2.	--,,--	--,,--	--,,--	भेलवापाल	भेलवापाल
3.	--,,--	--,,--	--,,--	जोरूतोंग उर्फ कोकरपाल	जोरूतोंग उर्फ कोकरपाल
				योग 03	
1.	--,,--	--,,--	20-सुकमा	सुकमा	नगर पंचायत सुकमा
2.	--,,--	--,,--	--,,--	गीदम	रामपुरम
				योग 02	
1.	--,,--	--,,--	21-झापरा	झापरा	झापरा
2.	--,,--	--,,--	--,,--	मुलागुड़ा	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	कोसाबंदर वन-ग्राम	--,,--
4.	--,,--	--,,--	--,,--	पुसपल्ली	पुसपल्ली
5.	--,,--	--,,--	--,,--	मंगीपाल	--,,--
6.	--,,--	--,,--	--,,--	कुडुकरास	--,,--
				योग 06	
1.	--,,--	--,,--	22-गोंगला	गोंगला	गोंगला
2.	--,,--	--,,--	--,,--	तेलावर्ती	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	बोरगुड़ा	--,,--
4.	--,,--	--,,--	--,,--	गोलाबेकुर	कोयाबेकुर
5.	--,,--	--,,--	--,,--	रामाराम	रामाराम
6.	--,,--	--,,--	--,,--	नाड़ीगुफा उर्फ पातासुकमा	--,,--
7.	--,,--	--,,--	--,,--	कुडकेल	--,,--
				योग 07	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कोन्टा	सुकमा	23-मुरतोंडा	मुरतोंडा	मुरतोंडा
2.	--,,--	--,,--	--,,--	नीलावरम	नीलावरम
3.	--,,--	--,,--	--,,--	चिचोरगुड़ा	--,,--
4.	--,,--	--,,--	--,,--	कोननगुड़ा	--,,--
				योग 04	
1.	--,,--	--,,--	24-कोण्डरे	कोण्डरे	कोण्डरे
2.	--,,--	--,,--	--,,--	पलिया	बोड़को
				योग 02	
1.	--,,--	--,,--	25-गादीरास	गादीरास	गादीरास
2.	--,,--	--,,--	--,,--	नागारास	नागारास
				योग 02	
1.	--,,--	--,,--	26-सोनाकुकानार	सोनाकूकानार	सोनाकूकानार
2.	--,,--	--,,--	--,,--	डोडपाल	डोडपाल
3.	--,,--	--,,--	--,,--	तोंगरास	--,,--
				योग 03	
1.	--,,--	--,,--	27-मारोकी	मारोकी	मारोकी
2.	--,,--	--,,--	--,,--	चिंगावरम	चिंगावरम
3.	--,,--	--,,--	--,,--	मुरकी	--,,--
				योग 03	
1.	--,,--	--,,--	28-कोर्रा	कोर्रा	कोर्रा
2.	--,,--	--,,--	--,,--	परिया	मानकापाल
				योग 02	
1.	--,,--	--,,--	29-मानकापाल	गुफड़ी	गुफड़ी
2.	--,,--	--,,--	--,,--	मानकापाल	मानकापाल
3.	--,,--	--,,--	--,,--	पोरदेम	पोरदेम
4.	--,,--	--,,--	--,,--	चिरमुर	--,,--
5.	--,,--	--,,--	--,,--	नीलावाया	--,,--
				योग 05	
1.	--,,--	--,,--	30-गोंडेरास	गोंदपल्ली	गोंदपल्ली
2.	--,,--	--,,--	--,,--	गोंडेरास	गोंडेरास
3.	--,,--	--,,--	--,,--	पुजारीपाल	--,,--
				योग 03	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कोन्टा	सुकमा	31-बड़ेसट्टी	बड़ेसट्टी	बड़ेसट्टी
2.	--,,--	--,,--	--,,--	बोड़को	बोड़को
				योग 02	
1.	--,,--	--,,--	32-फूलबगड़ी	फूलबगड़ी	फूलबगड़ी
2.	--,,--	--,,--	--,,--	पोंगाभेजी	पोंगाभेजी
3.	--,,--	--,,--	--,,--	सिरसट्टी	सिरसट्टी
				योग 03	
1.	--,,--	--,,--	33-केरलापाल	केरलापाल	केरलापाल
2.	--,,--	--,,--	--,,--	कोयाबेकुर	कोयाबेकुर
3.	--,,--	--,,--	--,,--	चिकपाल	चिकपाल
				योग 03	
		राजस्व निरीक्षक मण्डल का योग	16 पटवारी हल्का	53 ग्राम	32 ग्रा. पं.+ 01 न. पं.
1.	कोन्टा	जगरगुंडा	35-बगड़ेगुड़ा	बगडेगुड़ा	बगडेगुड़ा
2.	--,,--	--,,--	--,,--	गोगुण्डा	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	मिचीगुड़ा	--,,--
				योग 03	
1.	--,,--	--,,--	36-केरलापेन्दा	केरलापेन्दा	केरलापेन्दा
2.	--,,--	--,,--	--,,--	तोकनपल्ली	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	छोटेगानगुलावा	--,,--
4.	--,,--	--,,--	--,,--	बड़ेगानगुलावा	--,,--
5.	--,,--	--,,--	--,,--	नागारास	नागारास
6.	--,,--	--,,--	--,,--	कोत्तापल्ली	--,,--
7.	--,,--	--,,--	--,,--	तिम्मापेंटा	--,,--
8.	--,,--	--,,--	--,,--	गट्टापाड़	--,,--
				योग 08	
1.	--,,--	--,,--	37-एलमपल्ली उर्फ बेड़मा	एलमपल्ली उर्फ बेड़मा	एलमपल्ली उर्फ बेड़मा
2.	--,,--	--,,--	--,,--	चिलमीलावा	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	बंजेपल्ली	--,,--
4.	--,,--	--,,--	--,,--	कामाराम	कामाराम
5.	--,,--	--,,--	--,,--	राजपेन्टा	--,,--
6.	--,,--	--,,--	--,,--	गोलागुडियम	--,,--
7.	--,,--	--,,--	--,,--	अचकट	--,,--
8.	--,,--	--,,--	--,,--	सिंगाराम	--,,--
				योग 08	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कोन्टा	जगरगुंडा	38-कोंडासावली	कोंडासावली	कोंडासावली
2.	--,,--	--,,--	--,,--	पारलागट्टा	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	पोरोकोण्डासावली	--,,--
4.	--,,--	--,,--	--,,--	गुमोडी	गुमोडी
5.	--,,--	--,,--	--,,--	पोरोगुमोडी	--,,--
6.	--,,--	--,,--	--,,--	बड़ेहिरमा	--,,--
7.	--,,--	--,,--	--,,--	पोरोककाड़ी	--,,--
8.	--,,--	--,,--	--,,--	दुरमा	--,,--
				योग 08	
1.	--,,--	--,,--	39-जगरगुण्डा	जगरगुण्डा	जगरगुण्डा
2.	--,,--	--,,--	--,,--	तारलागुड़ा	तारलागुड़ा
3.	--,,--	--,,--	--,,--	विक्रमपल्ली	--,,--
4.	--,,--	--,,--	--,,--	बैनपल्ली	--,,--
5.	--,,--	--,,--	--,,--	कोडमेर	--,,--
6.	--,,--	--,,--	--,,--	कन्हईगुड़ा	--,,--
				योग 06	
1.	--,,--	--,,--	40-कुन्देड़	कुन्देड़	कुन्देड़
2.	--,,--	--,,--	--,,--	तोलेवर्ती	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	उरसांगल	--,,--
4.	--,,--	--,,--	--,,--	भीमापुरम उर्फ मेशीगुड़ा	--,,--
5.	--,,--	--,,--	--,,--	गोन्दपल्ली	गोन्दपल्ली
6.	--,,--	--,,--	--,,--	मंडीमरका	--,,--
7.	--,,--	--,,--	--,,--	तिम्मापुरम	--,,--
				योग 07	
1.	--,,--	--,,--	41-सिलगेर	सिलगेर	सिलगेर
2.	--,,--	--,,--	--,,--	बेदरे	--,,-
3.	--,,--	--,,--	--,,--	दुरणदरभा	--,,--
4.	--,,--	--,,--	--,,--	पेंटाचिमली	पेंटाचिमली
5.	--,,--	--,,--	--,,--	जोनागुड़ा	--,,--
6.	--,,--	--,,--	--,,--	टेकलगुड़ियाम	--,,--
7.	--,,--	--,,--	--,,--	पुवर्ती	--,,--
8.	--,,--	--,,--	--,,--	तुमालपाड़	--,,--
				योग 08	
1.	--,,--	--,,--	42-चिंतलनार	चिंतलनार	चिंतलनार
2.	--,,--	--,,--	--,,--	नरसापुरम, व. ग्रा.	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	मिलमपल्ली	मिलमपल्ली
4.	--,,--	--,,--	--,,--	किस्टाराम	--,,--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	कोन्टा	जगरगुंडा	42-चिंतलनार	चिमली	मिलमपल्ली
6.	--,,--	--,,--	--,,--	रामाराम	--,,--
				योग 06	
1.	--,,--	--,,--	43-मोरपल्ली	मोरपल्ली	मोरपल्ली
2.	--,,--	--,,--	--,,--	पेदाबोड़केल	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	चिन्नाबोड़केल	--,,--
4.	--,,--	--,,--	--,,--	जब्बागट्टा	--,,--
5.	--,,--	--,,--	--,,--	सुरपनगुड़ा	सुरपनगुड़ा
6.	--,,--	--,,--	--,,--	भीमापुरम उर्फ करकनगुड़ा	--,,--
				योग 06	
1.	--,,--	--,,--	44-बुरकापाल	बुरकापाल	बुरकापाल
2.	--,,--	--,,--	--,,--	ताड़मेटला	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	दुलेड़	दुलेड़
4.	--,,--	--,,--	--,,--	मिनपा	--,,--
				योग 04	
1.	--,,--	--,,--	45-चिन्तागुफा	चिन्तागुफा	चिन्तागुफा
2.	--,,--	--,,--	--,,--	तेमेलवाड़ा	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	मुकरम	मुकरम
4.	--,,--	--,,--	--,,--	कोत्तागुड़ा	--,,--
5.	--,,--	--,,--	--,,--	तोंगपल्ली	--,,--
6.	--,,--	--,,--	--,,--	लखापाल	--,,--
				योग 06	
1.	--,,--	--,,--	46-कांकेरलंका	कांकेरलंका	कांकेरलंका
2.	--,,--	--,,--	--,,--	पुसवाड़ा	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	चिकपल्ली	--,,--
				योग 03	
1.	--,,--	--,,--	47-पालामड़गु	पालामड़गु	पालामड़गु
2.	--,,--	--,,--	--,,--	कोर्रापाड़	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	गोडेलगुड़ा	--,,--
4.	--,,--	--,,--	--,,--	रेंगरायगुड़ा	--,,--
				योग 04	
	राजस्व निरीक्षक मण्डल का योग		13 पटवारी हल्का	77 ग्राम	23 ग्राम पंचायत

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कोन्टा	कोन्टा	34-मिसमा	मिसमा	मिसमा
2.	--,,--	--,,--	--,,--	पीनाभेजी	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	उपमपल्ली	--,,--
4.	--,,--	--,,--	--,,--	मुंडपल्ली	--,,-
5.	--,,--	--,,--	--,,--	सामसट्टी	सामसट्टी
6.	--,,--	--,,--	--,,--	बोडमपाड़ व. ग्रा.	--,,--
7.	--,,--	--,,--	--,,--	नीलावाया	--,,--
8.	--,,--	--,,--	--,,--	परिया	--,,--
				योग 08	
1.	--,,--	--,,--	48- दुब्बाटोटा	दुब्बाटोटा	दुब्बाटोटा,
2.	--,,--	--,,--	--,,--	पेंदागुड़ा	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	पुनपल्ली	पुनपल्ली
4.	--,,--	--,,--	--,,--	गोंदपल्ली	--,,--
5.	--,,--	--,,--	--,,--	नेलवाड़ा व. ग्रा.	--,,--
6.	--,,--	--,,--	--,,--	नयापारा व. ग्रा.	--,,--
7.	--,,--	--,,--	--,,--	कुम्हारपदर व. ग्रा.	--,,--
8.	--,,--	--,,--	--,,--	राजपदर व. ग्रा.	--,,--
9.	--,,--	--,,--	--,,--	गोरगुण्डा	--,,--
10.	--,,--	--,,--	--,,--	पोलमपल्ली	पोलमपल्ली
11.	--,,--	--,,--	--,,--	बरदेलपाड़ उर्फ तोंगगुड़ा	--,,--
				योग 11 ग्राम	
1.	--,,--	--,,--	49- दोरनापाल	दोरनापाल	दोरनापाल
2.	--,,--	--,,--	--,,--	कामापेदागुड़ा	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	देवरपल्ली	
4.	--,,--	--,,--	--,,--	नागलगुण्डा	नागलगुण्डा
5.	--,,--	--,,--	--,,--	पेंटा	--,,--
6.	--,,--	--,,--	--,,--	पेदाकुर्ती	मनीकोंटा
7.	--,,--	--,,--	--,,--	मेड़वाही उर्फ तोंगगुड़ा	मेड़वाही उर्फ तोंगगुड़ा
8.	--,,--	--,,--	--,,--	अर्रलमपल्ली	--,,--
				योग 08	
1.	--,,--	--,,--	50- गगनपल्ली	आरगट्टा	आरगट्टा
2.	--,,--	--,,--	--,,--	टेटराई	टेटराई
3.	--,,--	--,,--	--,,--	मनीकोन्टा	मनीकोन्टा
4.	--,,--	--,,--	--,,--	गगनपल्ली	गगनपल्ली
5.	--,,--	--,,--	--,,--	मराईगुड़ा	मराईगुड़ा
6.	--,,--	--,,--	--,,--	बिरला	मराईगुड़ा
				योग 06	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कोन्टा	कोन्टा	51- भेजी	भेजी	भेजी
2.	--,,--	--,,--	--,,--	रेगड़गट्टा	रेगड़गट्टा
3.	--,,--	--,,--	--,,--	गोरखा	कोत्ताचेरू
4.	--,,--	--,,--	--,,--	चिन्तागुफा	चिन्तागुफा
5.	--,,--	--,,--	--,,--	कोलाईगुड़ा	डब्बाकोंटा
				योग 05	
1.	--,,--	--,,--	52- एर्राबोर	एर्राबोर	एर्राबोर
2.	--,,--	--,,--	--,,--	मुलाकिसोली	मुलाकिसोली
3.	--,,--	--,,--	--,,--	राजपेन्टा उर्फ दरभागुड़ा	राजपेन्टा उर्फ दरभागुड़ा
4.	--,,--	--,,--	--,,--	लेण्ड्रा	--,,--
				योग 04	
1.	--,,--	--,,--	53- इंजरम	इंजरम	इंजरम
2.	--,,--	--,,--	--,,--	आसीरगुड़ा	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	इरपागुड़ा	--,,--
4.	--,,--	--,,--	--,,--	पेदाकिसोली	--,,--
5.	--,,--	--,,--	--,,--	नीलामडगू	मेहता
6.	--,,--	--,,--	--,,--	जगारम	मुलाकिसोली
7.	--,,--	--,,--	--,,--	बंजामगुड़ा	--,,--
8.	--,,--	--,,--	--,,--	मेटागुड़ा	--,,--
9.	--,,--	--,,--	--,,--	एटेगट्टा	दरभागुड़ा
10.	--,,--	--,,--	--,,--	कामराजपाड़	मराईगुड़ा
				योग 10	
1.	--,,--	--,,--	54- बण्डा	बण्डा	बण्डा
2.	--,,--	--,,--	--,,--	कन्हईगुड़ा	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	कन्हईगुड़ा उर्फ नेलमेटा	--,,--
4.	--,,--	--,,--	--,,--	तुलकातोंग	--,,--
5.	--,,--	--,,--	--,,--	उसकावाया, व.ग्रा.	--,,--
6.	--,,--	--,,--	--,,--	मेहता	मेहता
7.	--,,--	--,,--	--,,--	गंगराजपाड	--,,--
8.	--,,--	--,,--	--,,--	गोमपाड़	--,,--
9.	--,,--	--,,--	--,,--	पुसगुड़ा	--,,--
10.	--,,--	--,,--	--,,--	दुरमा	--,,--
11.	--,,--	--,,--	--,,--	बालेंगतोंग	--,,--
12.	--,,--	--,,--	--,,--	पीलावाया व.ग्रा.	--,,--
13.	--,,--	--,,--	--,,--	बेलपोचा, व. ग्रा.	--,,--
14.	--,,--	--,,--	--,,--	दुब्बामरका	टेटराई
				योग 14	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कोन्टा	कोन्टा	55- ढोंडरा	ढोंडरा	ढोंडरा
2.	--,,--	--,,--	--,,--	सुन्नमगुड़ा	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	वेंकटापाल	बण्डा
4.	--,,--	--,,--	--,,--	फन्दीगुड़ा	इंजरम
5.	--,,--	--,,--	--,,--	बोजरायगुड़ा	--,,--
				योग 05	
1.	--,,--	--,,--	56- कोन्टा	कोन्टा	कोन्टा
2.	--,,--	--,,--	--,,--	वेंकटापुरम	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	चिन्ताकोन्टा	ढोंडरा
4.	--,,--	--,,--	--,,--	मंगलगुड़ा	बण्डा
5.	--,,--	--,,--	--,,--	मुरलीगुड़ा	--,,--
				योग 05	
	राजस्व निरीक्षक मण्डल का योग		10 पटवारी हल्का	76 ग्राम	26 ग्राम पंचायत
	तहसील का योग :—		56 पटवारी हल्का	284 ग्राम	124 ग्रा. पं. + 01 न. पं.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 24 मार्च 2007

क्रमांक/39/भू. अ./अ. भू. अ./हल्का पुनर्गठन/2007.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं के. आर. पिस्दा, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा एतद्द्वारा तहसील भोपालपटनम के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं :—

सूची

क्र.	तहसील का नाम	रा. नि. मं. का नाम	प. ह. नं. व पटवारी मुख्यालय ग्राम का नाम	पटवारी हल्के में सम्मिलित ग्रामों का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	भोपालपटनम	भोपालपटनम	1- केरपे	केरपे	केरपे
2.	--,,--	--,,--	--,,--	दुड़मे	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	करकावाड़ा	--,,--
4.	--,,--	--,,--	--,,--	पेनगुण्डा	--,,--
5.	--,,--	--,,--	--,,--	उसकामेटा (विरान)	--,,--
6.	--,,--	--,,--	--,,--	पुम्बाली (विरान)	--,,--
7.	--,,--	--,,--	--,,--	मुचलेर (विरान)	--,,--
8.	--,,--	--,,--	--,,--	दुर्गापारा (विरान)	--,,--
9.	--,,--	--,,--	--,,--	मोतकवाया (विरान)	--,,--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	भोपालपटनम	भोपालपटनम	1-केरपे	हल्बातुमीरगुण्डा	केरपे
11.	--,,--	--,,--	--,,--	बड़ेइन्दूर (विरान)	--,,--
12.	--,,--	--,,--	--,,--	छोटेइन्दूर (विरान)	--,,--
13.	--,,--	--,,--	--,,--	करमे (विरान)	--,,--
14.	--,,--	--,,--	--,,--	पारागांव (विरान)	--,,--
15.	--,,--	--,,--	--,,--	गोड़नूगूर	--,,--
16.	--,,--	--,,--	--,,--	नेतीवाड़ा	--,,--
17.	--,,--	--,,--	--,,--	पासेवाड़ा	--,,--
18.	--,,--	--,,--	--,,--	नेती काकलेर	--,,--
19.	--,,--	--,,--	--,,--	दुड़ेपल्ली	--,,--
20.	--,,--	--,,--	--,,--	फरसनार	--,,--
21.	--,,--	--,,--	--,,--	बोरामंगी (विरान)	--,,--
22.	--,,--	--,,--	--,,--	मरकुड़	--,,--
23.	--,,--	--,,--	--,,--	ओडरू	--,,--
				योग 23 ग्राम	
1.	भोपालटनम	भोपालपटनम	2- सेन्ड्रा	सेन्ड्रा	सेन्ड्रा
2.	--,,--	--,,--	--,,--	चेरपल्ली	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	चिपनपल्ली	--,,--
4.	--,,--	--,,--	--,,--	किमारबेचा (विरान)	--,,--
5.	--,,--	--,,--	--,,--	टिमारबेचा (विरान)	--,,--
6.	--,,--	--,,--	--,,--	फन्दीवाया	--,,--
7.	--,,--	--,,--	--,,--	जारागुड़ा	--,,--
8.	--,,--	--,,--	--,,--	रालापल्ली	--,,--
9.	--,,--	--,,--	--,,--	मरदींगपाल (विरान)	--,,--
				योग 09 ग्राम	
1.	भोपालपटनम	भोपालपटनम	3- एड़ापल्ली	एड़ापल्ली	एड़ापल्ली
2.	--,,--	--,,--	--,,--	पालसेगुण्डी	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	गुण्डापुरी	--,,--
4.	--,,--	--,,--	--,,--	गरतूल	--,,--
5.	--,,--	--,,--	--,,--	कोकेरा	--,,--
6.	--,,--	--,,--	--,,--	आरेपल्ली	--,,--
7.	--,,--	--,,--	--,,--	इरपागुट्टा	--,,--
				योग 07 ग्राम	
1.	भोपालपटनम	भोपालपटनम	4- पीलूर	बड़ेकाकलेर	बड़ेकाकलेर
2.	--,,--	--,,--	--,,--	ताड़सोड़ (विरान)	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	कुमेर (विरान)	--,,--
4.	--,,--	--,,--	--,,--	गोरगुण्डा (विरान)	--,,--
5.	--,,--	--,,--	--,,--	टेकमेटा	--,,--
6.	--,,--	--,,--	--,,--	हीरापुरम (विरान)	--,,--
7.	--,,--	--,,--	--,,--	पावम (विरान)	--,,--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	भोपालपटनम	भोपालपटनम	4-पीलूर	आरकीपाल (विरान)	बड़ेकाकलेर
9.	--,,--	--,,--	--,,--	ताटीगुट्टा	--,,--
10.	--,,--	--,,--	--,,--	छोटेकाकलेर	--,,--
11.	--,,--	--,,--	--,,--	नागारम (विरान)	--,,--
12.	--,,--	--,,--	--,,--	दुड़मे (विरान)	--,,--
13.	--,,--	--,,--	--,,--	पेनकुदूर	--,,--
14.	--,,--	--,,--	--,,--	फुलगुण्डम	--,,--
15.	--,,--	--,,--	--,,--	चिन्नाबेली (विरान)	--,,--
16.	--,,--	--,,--	--,,--	अन्नापुर	--,,--
17.	--,,--	--,,--	--,,--	कुनावायागुड़ा (विरान)	--,,--
18.	--,,--	--,,--	--,,--	मारवाड़ा	--,,--
19.	--,,--	--,,--	--,,--	सफीमरका	--,,--
20.	--,,--	--,,--	--,,--	पीलूर	--,,--
21.	--,,--	--,,--	--,,--	बिंवरी	--,,--
22.	--,,--	--,,--	--,,--	कांदलापर्ती	--,,--
				योग 22 ग्राम	
1.	भोपालपटनम	भोपालपटनम	5- बारेगुड़ा	बारेगुड़ा	बारेगुड़ा
2.	--,,--	--,,--	--,,--	रेड्डीपल्ली	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	सकनापल्ली	--,,--
4.	--,,--	--,,--	--,,--	वाडला	वाडला
5.	--,,--	--,,--	--,,--	जामका (विरान)	--,,--
6.	--,,--	--,,--	--,,--	मालदा (विरान)	--,,--
7.	--,,--	--,,--	--,,--	मट्टीमरका	--,,--
8.	--,,--	--,,--	--,,--	दुड़मा (विरान)	--,,--
9.	--,,--	--,,--	--,,--	गोखुर	--,,--
10.	--,,--	--,,--	--,,--	पोलेम	--,,--
11.	--,,--	--,,--	--,,--	पेंदलालम	--,,--
12.	--,,--	--,,--	--,,--	कोटापल्ली	--,,--
13.	--,,--	--,,--	--,,--	पेट्टाबोगड़ा	--,,--
				योग 13 ग्राम	
1.	भोपालपटनम	भोपालपटनम	6- वरदली	वरदली	वरदली
2.	--,,--	--,,--	--,,--	दम्मूर	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	चिल्लामरका	--,,--
4.	--,,--	--,,--	--,,--	आलमपुट्टीगुड़ा	--,,--
5.	--,,--	--,,--	--,,--	दुगलमगुड़ा	--,,--
6.	--,,--	--,,--	--,,--	लिंगापुर	लिंगापुर
7.	--,,--	--,,--	--,,--	कोत्तागुड़ा	--,,--
8.	--,,--	--,,--	--,,--	रायगुड़ा	--,,--
9.	--,,--	--,,--	--,,--	गंगारम	--,,--
10.	--,,--	--,,--	--,,--	नलमपल्ली	--,,--
				योग 10 ग्राम	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	भोपालपटनम	भोपालपटनम	7- गोल्लागुड़ा	गोल्लागुड़ा	गोल्लागुड़ा
2.	--,,--	--,,--	--,,--	मर्रीगुड़ा	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	रामपुरम उर्फ भीमापुरम	--,,--
4.	--,,--	--,,--	--,,--	तिमेड़	तिमेड़
5.	--,,--	--,,--	--,,--	भट्टपल्ली	--,,--
6.	--,,--	--,,--	--,,--	गोटाईगुड़ा	--,,--
				योग 06 ग्राम	
1.	भोपालपटनम	भोपालपटनम	8- भोपालपटनम	भोपालपटनम	भोपालपटनम
2.	--,,--	--,,--	--,,--	रालापल्ली	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	गुल्लापेंटा	गुल्लापेंटा
4.	--,,--	--,,--	--,,--	उल्लूर	--,,--
5.	--,,--	--,,--	--,,--	चन्दनगिरी	--,,--
				योग 05 ग्राम	
1.	भोपालपटनम	भोपालपटनम	9- रूद्रारम	रूद्रारम	रूद्रारम
2.	--,,--	--,,--	--,,--	कुचनूर	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	दामारम (विरान)	--,,--
4.	--,,--	--,,--	--,,--	अर्जुनली	अर्जुनली
5.	--,,--	--,,--	--,,--	चिन्नामाटूर	--,,--
6.	--,,--	--,,--	--,,--	पेद्दामाटूर	--,,--
				योग 06 ग्राम	
1.	भोपालपटनम	भोपालपटनम	10- चेरपल्ली	चेरपल्ली	चेरपल्ली
2.	--,,--	--,,--	--,,--	रणपुरम	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	भट्टीगुड़ा (जाजलगुड़ा)	--,,--
4.	--,,--	--,,--	--,,--	मोतकपल्ली	--,,--
5.	--,,--	--,,--	--,,--	बामनपुर	बामनपुर
6.	--,,--	--,,--	--,,--	पोषणपल्ली	--,,--
7.	--,,--	--,,--	--,,--	बोरगुड़ा	--,,--
8.	--,,--	--,,--	--,,--	देपला	--,,--
9.	--,,--	--,,--	--,,--	गोरगुड़ा	--,,--
10.	--,,--	--,,--	--,,--	मेघापुर उर्फ करकावाया	--,,--
				योग 10 ग्राम	
1.	भोपालपटनम	भोपालपटनम	11- पेगड़ापल्ली	पेगड़ापल्ली	पेगड़ापल्ली
2.	--,,--	--,,--	--,,--	पें. बासागुडा	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	कोडोली (विरान)	--,,--
4.	--,,--	--,,--	--,,--	दम्पाया	दम्पाया
5.	--,,--	--,,--	--,,--	यापला	--,,--
6.	--,,--	--,,--	--,,--	सण्ड्रापल्ली	--,,--
7.	--,,--	--,,--	--,,--	दु. कोत्तागुड़ा	--,,--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	भोपालपटनम	भोपालपटनम	11-पेगड़ापल्ली	को. दुधेड़ा	दम्पाया
9.	--,,--	--,,--	--,,--	कोंडापड़गू	--,,--
10.	--,,--	--,,--	--,,--	काकलेर (विरान)	--,,--
11.	--,,--	--,,--	--,,--	पोंजेर (विरान)	--,,--
12.	--,,--	--,,--	--,,--	बंजोली (विरान)	--,,--
13.	--,,--	--,,--	--,,--	बर्रेगुड़ा (विरान)	--,,--
				योग 13 ग्राम	
1.	भोपालपटनम	भोपालपटनम	12- अंगमपल्ली	अंगमपल्ली	अंगमपल्ली
2.	--,,--	--,,--	--,,--	बन्देपर्रे	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	कोरजेड़	--,,--
4.	--,,--	--,,--	--,,--	सोमनपल्ली	--,,--
5.	--,,--	--,,--	--,,--	पे. कोत्तागुड़ा	--,,--
6.	--,,--	--,,--	--,,--	रायगुड़ा	--,,--
7.	--,,--	--,,--	--,,--	धनगोल	--,,--
8.	--,,--	--,,--	--,,--	नीलामड़गू (विरान)	--,,--
9.	--,,--	--,,--	--,,--	तमलापल्ली	तमलापल्ली
10.	--,,--	--,,--	--,,--	आदेड़वाया (विरान)	--,,--
11.	--,,--	--,,--	--,,--	कचलारम (विरान)	--,,--
12.	--,,--	--,,--	--,,--	बंगापल्ली (विरान)	--,,--
13.	--,,--	--,,--	--,,--	आलूर (विरान)	--,,--
14.	--,,--	--,,--	--,,--	केसोली (विरान)	--,,--
15.	--,,--	--,,--	--,,--	अटुकपल्ली (विरान)	--,,--
16.	--,,--	--,,--	--,,--	लिंगापुर (विरान)	--,,--
17.	--,,--	--,,--	--,,--	गौरारम	--,,--
18.	--,,--	--,,--	--,,--	भट्टीपल्ली (विरान)	--,,--
				योग 18 ग्राम	
1.	भोपालपटनम	भोपालपटनम	13- मद्देड़	मद्देड़ ग्राम	मद्देड़
2.	--,,--	--,,--	--,,--	मद्देड़ टाउन	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	संगमपल्ली	संगमपल्ली
4.	--,,--	--,,--	--,,--	मिनपानूर (विरान)	--,,--
5.	--,,--	--,,--	--,,--	कोनागुड़ा	--,,--
6.	--,,--	--,,--	--,,--	गिलगिच्चा	--,,--
7.	--,,--	--,,--	--,,--	एलगांड्रा	--,,--
				योग 7 ग्राम	
1.	भोपालपटनम	भोपालपटनम	14- मीनूर	गोरला	गोरला
2.	--,,--	--,,--	--,,--	केशईगुड़ा	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	मीनूर	--,,--
4.	--,,--	--,,--	--,,--	वंगापल्ली	वंगापल्ली
5.	--,,--	--,,--	--,,--	मुत्तापुर	--,,--
6.	--,,--	--,,--	--,,--	एंचोड़ा	--,,--
				योग 06 ग्राम	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	भोपालपटनम	भोपालपटनम	15- भद्राकाली	अटुकपल्ली	अटुकपल्ली
2.	--,,--	--,,--	--,,--	कोंडामौसम	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	कांदला	--,,--
4.	--,,--	--,,--	--,,--	रामपेटा	--,,--
5.	--,,--	--,,--	--,,--	मेटलाचेरू	--,,--
6.	--,,--	--,,--	--,,--	एलापुरम (विरान)	--,,--
7.	--,,--	--,,--	--,,--	रेगुड़ा	--,,--
8.	--,,--	--,,--	--,,--	मे. कोत्तागुड़ा	--,,--
9.	--,,--	--,,--	--,,--	भद्राकाली	--,,--
10.	--,,--	--,,--	--,,--	कपाला (विरान)	--,,--
11.	--,,--	--,,--	--,,--	बड़ेगुण्डम (विरान)	--,,--
12.	--,,--	--,,--	--,,--	कुमारनीला (विरान)	--,,--
13.	--,,--	--,,--	--,,--	रोड़नीला (विरान)	--,,--
				योग 13 ग्राम	
1.	भोपालपटनम	भोपालपटनम	16- कोत्तूर	चन्दूर	चन्दूर
2.	--,,--	--,,--	--,,--	कम्बालपेंटा	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	दुधेड़ा	--,,--
4.	--,,--	--,,--	--,,--	सीतानगरम	--,,--
5.	--,,--	--,,--	--,,--	तारूड़	--,,--
6.	--,,--	--,,--	--,,--	कोत्तूर	कोत्तूर
7.	--,,--	--,,--	--,,--	अन्नारम	--,,--
8.	--,,--	--,,--	--,,--	तारलागुड़ा	--,,--
				योग 08 ग्राम	
1.	भोपालपटनम	भोपालपटनम	17- उसकालेड़	उसकालेड़	उसकालेड़
2.	--,,--	--,,--	--,,--	मिनकापल्ली	मिनकापल्ली
3.	--,,--	--,,--	--,,--	कोमटपल्ली	--,,--
4.	--,,--	--,,--	--,,--	कोंगूपल्ली	--,,--
				योग 04 ग्राम	
1.	भोपालपटनम	भोपालपटनम	18- पामगल	पामगल	पामगल
2.	--,,--	--,,--	--,,--	मेटूपल्ली	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	नीलमदीपा (विरान)	--,,--
4.	--,,--	--,,--	--,,--	कोत्तापल्ली	कोत्तापल्ली
5.	--,,--	--,,--	--,,--	लोदेड़	--,,--
6.	--,,--	--,,--	--,,--	मर्रीमल्ला	--,,--
				योग 06 ग्राम	
	राजस्व निरीक्षक मंडल का योग		**18 पटवारी हल्का**	**186 ग्राम**	**31 ग्रा. पं.**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	भोपालपटनम	उसूर	19- मुरकीनार	मुरकीनार	मुरकीनार
2.	--,,--	--,,--	--,,--	मोदकपाल	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	पंगनपाल	--,,--
4.	--,,--	--,,--	--,,--	सन्ड्रेल	--,,--
5.	--,,--	--,,--	--,,--	चिन्तपल्ली	--,,--
6.	--,,--	--,,--	--,,--	गुपकोंटा (विरान)	--,,--
7.	--,,--	--,,--	--,,--	पुसगुड़ी	पुसगुड़ी
8.	--,,--	--,,--	--,,--	पावरेल	--,,--
9.	--,,--	--,,--	--,,--	केशगल (विरान)	--,,--
				योग 09 ग्राम	
1.	भोपालपटनम	उसूर	20- चेरामंगी	चेरकडोडी	चेरकडोडी
2.	--,,--	--,,--	--,,--	भण्डारपाल	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	पैंकरम	--,,--
4.	--,,--	--,,--	--,,--	नुकनपाल	नुकनपाल
5.	--,,--	--,,--	--,,--	धारावरम	--,,--
6.	--,,--	--,,--	--,,--	चेरामंगी	--,,--
7.	--,,--	--,,--	--,,--	पुन्नूर	--,,--
				योग 07 ग्राम	
1.	भोपालपटनम	उसूर	21- संकनपल्ली	एंगपल्ली	एंगपल्ली
2.	--,,--	--,,--	--,,--	भट्टीगुड़ा	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	फरसापल्ली	--,,--
4.	--,,--	--,,--	--,,--	मुंजालकांकेर	--,,--
5.	--,,--	--,,--	--,,--	कन्हईगुड़ा (विरान)	--,,--
6.	--,,--	--,,--	--,,--	संकनपल्ली	संकनपल्ली
				योग 06 ग्राम	
1.	भोपालपटनम	उसूर	22- इलमिड़ी	लंकापल्ली	लंकापल्ली
2.	--,,--	--,,--	--,,--	जिनिप्पा	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	आईपेंटा (वन ग्राम)	--,,--
4.	--,,--	--,,--	--,,--	इलमिड़ी	इलमिड़ी
				योग 04 ग्राम	
1.	भोपालपटनम	उसूर	23- आवापल्ली	आवापल्ली	आवापल्ली
2.	--,,--	--,,--	--,,--	चिंताकोंटा	चिंताकोंटा
3.	--,,--	--,,--	--,,--	दुगईगुड़ा	--,,--
4.	--,,--	--,,--	--,,--	चाटलापल्ली	--,,--
				योग 04 ग्राम	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	भोपालपटनम	उसूर	24- उसूर	सेमलडोडी	सेमलडोडी
2.	--,,--	--,,--	--,,--	पेरमपल्ली	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	उसूर	उसूर
				योग 03 ग्राम	
1.	भोपालपटनम	उसूर	25- मुरदण्डा	मुरदण्डा	मुरदण्डा
2.	--,,--	--,,--	--,,--	तिम्मापुर	तिम्मापुर
				योग 02 ग्राम	
1.	भोपालपटनम	उसूर	26- हीरापुर	हीरापुर	हीरापुर
2.	--,,--	--,,--	--,,--	पुसकोंटा	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	बेलमलेंड्रा	--,,--
4.	--,,--	--,,--	--,,--	फुतकेल	फुतकेल
5.	--,,--	--,,--	--,,--	चिलकापल्ली	--,,--
				योग 05 ग्राम	
1.	भोपालपटनम	उसूर	27- लिंगागिरी	लिंगागिरी	लिंगागिरी
2.	--,,--	--,,--	--,,--	सुरनार	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	छोटेसंकनपल्ली	--,,--
4.	--,,--	--,,--	--,,--	पेंदापल्ली (विरान)	--,,--
5.	--,,--	--,,--	--,,--	बड़ेसंकनपल्ली	--,,--
6.	--,,--	--,,--	--,,--	ढोलेगुड़ा	--,,--
7.	--,,--	--,,--	--,,--	मलेपल्ली	मलेपल्ली
8.	--,,--	--,,--	--,,--	धरमापुर	--,,--
9.	--,,--	--,,--	--,,--	डल्ला	--,,--
				योग 09 ग्राम	
1.	भोपालपटनम	उसूर	28- बासागुड़ा	बासागुड़ा	बासागुड़ा
2.	--,,--	--,,--	--,,--	काशीगुड़ा	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	कोरसागुड़ा	कोरसागुड़ा
4.	--,,--	--,,--	--,,--	बीरागुड़ा	--,,--
5.	--,,--	--,,--	--,,--	औटपल्ली	--,,--
6.	--,,--	--,,--	--,,--	राजपेंटा	--,,--
7.	--,,--	--,,--	--,,--	बकनागुलगुड़ा	--,,--
8.	--,,--	--,,--	--,,--	सारकेगुड़ा	--,,--
				योग 08 ग्राम	
1.	भोपालपटनम	उसूर	29- तर्रेम	चिरपुरभट्टी	चिरपुरभट्टी
2.	--,,--	--,,--	--,,--	कोत्तागुड़ा	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	पाकेला	--,,--
4.	--,,--	--,,--	--,,--	पेगड़ापल्ली	--,,--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	भोपालपटनम	उसूर	तर्रेम	तर्रेम	तर्रेम
				योग 05 ग्राम	
1.	भोपालपटनम	उसूर	30- चिन्नागेलूर	पुसबाका	पुसबाका
2.	--,,--	--,,--	--,,--	चिन्नागेलूर	चिन्नागेलूर
3.	--,,--	--,,--	--,,--	पेदागेलूर	--,,--
4.	--,,--	--,,--	--,,--	गुण्डम	--,,--
5.	--,,--	--,,--	--,,--	चुटवाही	--,,--
				योग 05 ग्राम	
1.	भोपालपटनम	उसूर	31- गगनपल्ली	गगनपल्ली	गगनपल्ली
2.	--,,--	--,,--	--,,--	कोंजेड़	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	नरसापुर	--,,--
4.	--,,--	--,,--	--,,--	टेकलगुड़ियम	--,,--
5.	--,,--	--,,--	--,,--	पोलमपल्ली	पोलमपल्ली
6.	--,,--	--,,--	--,,--	टेकमेटला	--,,--
				योग 06 ग्राम	
1.	भोपालपटनम	उसूर	32- नेलाकांकेर	नेलाकांकेर	नेलाकांकेर
2.	--,,--	--,,--	--,,--	रेखापल्ली	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	चिंगनपल्ली	--,,--
4.	--,,--	--,,--	--,,--	कमलापुर	--,,--
5.	--,,--	--,,--	--,,--	मारूड़बाका	मारूड़बाका
6.	--,,--	--,,--	--,,--	लिंगापुर	--,,--
7.	--,,--	--,,--	--,,--	भूसापुर	--,,--
				योग 07 ग्राम	
1.	भोपालपटनम	उसूर	33- पुजारीकांकेर	गलगम	गलगम
2.	--,,--	--,,--	--,,--	गुंजेपर्ती	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	नड़पल्ली	--,,--
4.	--,,--	--,,--	--,,--	पुटापल्ली	--,,--
5.	--,,--	--,,--	--,,--	नंबी	--,,--
6.	--,,--	--,,--	--,,--	पुजारीकांकेर	पुजारीकांकेर
7.	--,,--	--,,--	--,,--	चिन्नाउटलापल्ली	--,,--
8.	--,,--	--,,--	--,,--	कोत्तापल्ली	--,,--
9.	--,,--	--,,--	--,,--	भीमारम	--,,--
10.	--,,--	--,,--	--,,--	रामपुर	--,,--
11.	--,,--	--,,--	--,,--	चिंगनमोठ (विरान)	--,,--
12.	--,,--	--,,--	--,,--	उटलापल्ली	--,,--
				योग 12 ग्राम	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	भोपालपटनम	उसूर	34- धरमारम	मलेमपेंटा	मलेमपेंटा
2.	--,,--	--,,--	--,,--	कोतूर (कसतूरपाड़)	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	तुमरेल	--,,--
4.	--,,--	--,,--	--,,--	पोलमपल्ली	--,,--
5.	--,,--	--,,--	--,,--	कोत्तापेंटा (विरान)	--,,--
6.	--,,--	--,,--	--,,--	धरमारम	धरमारम
7.	--,,--	--,,--	--,,--	जीड़पल्ली	--,,--
8.	--,,--	--,,--	--,,--	दामारम	--,,--
9.	--,,--	--,,--	--,,--	चिन्नाधरमारम	--,,--

योग 09 ग्राम

1.	भोपालपटनम	उसूर	35- कोण्डापल्ली	कोण्डापल्ली	कोण्डापल्ली
2.	--,,--	--,,--	--,,--	कोमटपल्ली	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	भट्टीगुड़ा	--,,--
4.	--,,--	--,,--	--,,--	कंचाल	कंचाल
5.	--,,--	--,,--	--,,--	एर्रापल्ली	--,,--
6.	--,,--	--,,--	--,,--	गुडराजगुड़ा	--,,--
7.	--,,--	--,,--	--,,--	काऊरगट्टा	--,,--
8.	--,,--	--,,--	--,,--	तुनकीगुट्टा (विरान)	--,,--

योग 08 ग्राम

1.	भोपालपटनम	उसूर	36- दारेली	दारेली	दारेली
2.	--,,--	--,,--	--,,--	पेदाचन्दा	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	मेटागुड़ा	--,,--
4.	--,,--	--,,--	--,,--	मंगलतोर	--,,--
5.	--,,--	--,,--	--,,--	पालागुड़ा	पालागुड़ा
6.	--,,--	--,,--	--,,--	मीनागट्टा	--,,--
7.	--,,--	--,,--	--,,--	बोमेड़	--,,--

योग 07 ग्राम

1.	भोपालपटनम	उसूर	37- पामेड़	पामेड़	पामेड़
2.	--,,--	--,,--	--,,--	पेद्दाधरमारम	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	गादीगुड़ा	--,,--
	--,,--	--,,--	--,,--	चिन्नाधारमकट्टू (विरान)	--,,--
5.	--,,--	--,,--	--,,--	सापेड़	--,,--
6.	--,,--	--,,--	--,,--	जारपल्ली	जारपल्ली
7.	--,,--	--,,--	--,,--	टेकलेर	--,,--
8.	--,,--	--,,--	--,,--	तोंगगुड़ा	--,,--
9.	--,,--	--,,--	--,,--	मेंदीगुड़ा	--,,--
10.	--,,--	--,,--	--,,--	पेद्दाधारमकट्टू	--,,--
11.	--,,--	--,,--	--,,--	बुरदामड़गू (विरान)	--,,--

योग 11 ग्राम

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	भोपालपटनम	उसूर	38- उड़तामल्ला	उड़तामल्ला	उड़तामल्ला
2.	--,,--	--,,--	--,,--	पीनाचन्दा	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	बोटेतोंग	--,,--
4.	--,,--	--,,--	--,,--	यमपुर	--,,--
5.	--,,--	--,,--	--,,--	रासपल्ली	--,,--
				योग 05 ग्राम	
	राजस्व निरीक्षक मंडल का योग		20 पटवारी हल्का	132 ग्राम	39 ग्रा. पं.
	तहसील का योग :—		38 पटवारी हल्का	318 ग्राम	70 ग्रा. पं.

के. आर. पिस्दा,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 30th July 2007

No. 361/Confdl./2007/II-3-1/2007.—The following Civil Judges Class-II as mentioned in Column No. (2) of the table below are, hereby, transferred from the place mentioned in Column No. (3) to the place mentioned in Column No. (4) in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office, viz. :—

TABLE

Sr. No. (1)	Name of Civil Judge Class-II (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Ms. Pallavi Parashar, Civil Judge Class-II.	Sakti	Ambikapur	Surguja	IV Civil Judge Class-II
2.	Ms. Swarnalata Tirkey, II Civil Judge Class-II.	Janjgir	Jagdalpur	Bastar	I Civil Judge Class-II
3.	Smt. Sunita Toppo, IV Civil Judge Class-II.	Ambikapur	Sakti	Janjgir-Champa	Civil Judge Class-II
4.	Shri Prashant Kumar Shivhare, I Civil Judge Class-II.	Jagdalpur	Janjgir	Janjgir-Champa	II Civil Judge Class-II

Bilaspur, the 30th July 2007

No. 365/Confdl./2007/II-2-1/2007.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office; and

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Sessions Judge of the Sessions Division as mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office :-

TABLE

S. No. (1)	Name & Present designation (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Surendra Tiwari, District & Sessions Judge.	Dakshin Bastar (Dantewara)	Ambikapur	Surguja	District & Sessions Judge.
2.	Shri Sandeep Bakshi, Presiding Officer, State Transport Appellate Tribunal.	Raipur	Dantewara	Dakshin Bastar (Dantewara)	District & Sessions Judge.
3.	Shri Alok Jha, Registrar (Judicial), High Court of Chhattisgarh.	Bilaspur	Rajnandgaon	Rajnandgaon	District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 30th July 2007

No. 367/Confdl./2007/II-2-1/2007.—It is hereby directed that Shri Khagendra Singh, Additional District & Sessions Judge, Jashpur shall look after the urgent work of District & Sessions Judge, Jashpur until further orders.

Bilaspur, the 31st July 2007

No. 371/Confdl./2007/II-3-48/2007.—In exercise of powers conferred under sub-section (2) of Section 13 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the High Court of Chhattisgarh, with the concurrence of the State Government obtained vide its Order No. 2475 dated 14-03-2007, hereby appoints the following retired Judicial Officers, as specified in Column No. (2), as Special Judicial Magistrate and posts them at the place as specified in Column No. (3) on last pay minus pension basis for a period of one year from the date they assume charge of their office; and

In exercise of powers conferred under sub-section (1) of Section 13 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the High Court of Chhattisgarh, hereby, confers the powers of Judicial Magistrate First Class alongwith the powers under Section 260 upon the following retired Judicial Officers in respect to try the cases which shall be transferred to them from time to time in the local area as specified in Column No. (3) subject to the said limit and area assigned to them by the Chief Judicial Magistrate of the respective Revenue District as specified in Column No. (4) with the prior approval of the Sessions Judge concerned from the date they assume charge of their office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & Address (2)	Place (3)	Revenue District (4)	Posted as (5)
1.	Shri L. D. Deoras, (Retired District Judge), 20, Panchsheel Nagar, Raipur-492 001.	Raipur	Raipur	Special Judicial Magistrate.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Shri Mazhar Ali, (Retired District Judge) 125, Narmada Nagar, Bilaspur.	Raipur	Raipur	Special Judicial Magistrate.
3.	Shri Khelan Das, C/o Dr. Ravi Kant Das House No. 699, Ward No. 10, Manjhwapara, Jarhabhata, Bilaspur-495 001.	Durg	Durg	Special Judicial Magistrate.

Bilaspur, the 1st August 2007

No. 19937/R. (G)/2007.—In exercise of the powers conferred under Articles 225 & 227 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh hereby makes the following amendments in the High Court of Chhattisgarh Rules, 2005 which shall come into force from 6-8-2007.

AMENDMENTS

Under chapter-III in Rule 18, the sentence "The Judges shall sit in Court between the hours of 10.30 a. m. to 4.30 p. m. with a recess between 1.30 p. m. to 2.30 p. m." shall be substituted with "The Judges shall sit in Court between the hours of 10.15 a. m. to 4.30 p. m. with a recess between 1.30 p. m. to 2.15 p. m."

बिलासपुर, दिनांक 3 अगस्त 2007

क्रमांक 5359/2007/नियम व आदेश (दांडिक).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश पृष्ठांकन क्रमांक 2955/डी-1014/21-ब/छ. ग./2007, दिनांक 30-03-2007 द्वारा प्राप्त राज्य शासन की पूर्व सहमति से, छत्तीसगढ़ नियम एवं आदेश (आपराधिक) में निम्नानुसार संशोधन करता है :—

यह संशोधन छ. ग. राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील रहेगा.

संशोधन

अध्याय-7 नियम 181 में अंकित समस्त शब्दों एवं अंकों को विलोपित किया जाकर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है—

"जब कभी ऐसी भाषा जिससे अभियुक्त या न्यायालय परिचित नहीं है, में दी गई साक्ष्य के अनुवाद के लिए अनुवादक नियुक्त किया जाता है तब सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी/न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी या किसी अधीनस्थ न्यायालय का पीठासीन अधिकारी उस अनुवादक को नीचे वर्णित अनुसार प्रतिदिन पारिश्रमिक देने हेतु प्राधिकृत हैं :—

(1) अनुवाद के कार्य पर बिताये गये समय को ध्यान में रखते हुए वही दर जो कलेक्टर द्वारा समय-समय पर पूर्णकालिक कुशल श्रमिक या अंशकालिक कुशल श्रमिक के लिए स्वीकृत किया गया हो.

उपरोक्त पर होने वाला व्यय संबंधित अधीनस्थ न्यायालय के मुख्य शीर्ष एवं लघु शीर्ष के अधीन उद्देश्य शीर्ष-04 कार्यालय व्यय-008-अन्य आकस्मिक व्यय (साक्षियों का आहार धन और यात्रा व्यय) के अंतर्गत विकलनीय होगा".

No. 5359/2007/Rules & Orders (Cri.).—In exercise of the powers conferred by Article 227 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh, with the previous concurrence of the State Government granted vide Law

and Legislative Affairs Departments Order-Endorsement No. 2955/D-1014/21-B/C. G./2007 dated 30-03-2007 hereby makes the following amendments in Chhattisgarh Rules and Orders (Criminal) as mentioned below :—

The amendment shall come into force from the date of its publication in Chhattisgarh Rajpatra.

AMENDMENT

In Chapter 7 of rule 181 delete all the words and figures and substitute the following words and figures :—

"Whenever an interpreter is employed to interpret evidence given in a language not understood by the accused or the Court, Sessions Judge/Additional Sessions Judge/Chief Judicial Magistrate/Additional Chief Judicial Magistrate/Judicial Magistrate First Class/Judicial Magistrate IInd Class or any Presiding Officer of Sub-ordinate Courts are authorized to pay following remuneration per day to such an interpreter :—

(1) Same rates as declared by the Collector from time to time for full-time skilled worker or part-time skilled worker looking to the time spent on interpretation.

The expenditure in this regard shall be debited under the object Head-04-Office Expenses-008-Other Contingency Expenditure (Diet money and travelling expenses of witnesses) of major and minor heads of respective Court."

Bilaspur, the 4th August 2007

No. 5427/L. G./2007/II-2-18/2006.—Shri Ganpat Rao, Additional Registrar (Administration), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 05 days from 06-08-2007 to 10-08-2007 and permission to prefix holiday of 05-08-2007 (Sunday) and Suffix holidays of 11-08-2007 & 12-08-2007 (Saturday & Sunday) along with the permission to leave headquarters.

On return from leave Shri Ganpat Rao, Additional Registrar (Administration), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is posted on the same post on which he was posted prior to his proceeding on the aforementioned leave.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Ganpat Rao, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 240+10 days of earned leave are remaining in his leave account.

Bilaspur, the 10th August 2007

No. 5593/L. G./2007/II-2-15/2002.—Shri Ashok Kumar Panda, District & Sessions Judge, Koria (Baikunthpur) is hereby, granted earned leave for 08 days from 16-08-2007 to 23-08-2007 along with the permission to leave headquarters after the office hours of 15-08-2007 (evening) before the office hours of 24-08-2007.

On return from leave Shri Ashok Kumar Panda is posted on the same post on which he was posted prior to his proceeding on the aforementioned leave.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Ashok Kumar Panda, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 205 days of earned leave are remaining in his leave account.

Bilaspur, the 10th August 2007

No. 5594/L. G./2007/II-2-15/2002.—Hon'ble the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur has been pleased to recall the order of grant of six days of earned leave from 30-07-2007 to 04-08-2007 and permission to prefix holiday of 29-07-2007 (Sunday) & suffix holiday of 05-08-2007 (Sunday) along with the permission to leave headquarters from the morning of 29-07-2007 before the office hours of 06-08-2007 of Shri Ashok Kumar Panda, District & Sessions Judge, Koria (Baikunthpur).

After recalling the aforementioned leave order, 213 days of earned leave are remaining in his leave account.

Bilaspur, the 16th August 2007

No. 379/Confdl./2007/II-2-99/2001.—On the application dated 13-11-2006 & 08-08-2007 of Shri Raghubir Singh, Judge, Family Court, Korba Requesting for change of his home district, permission is hereby accorded to change his home District from Seoni to Bilaspur with a direction that necessary changes be effected in all his records.

By order of the High Court,
HEERA SINGH MARKAM, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 3 अगस्त 2007

क्रमांक 88/दो-2-7/2003.—श्री ए. एस. चन्देल, तत्कालीन एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर वर्तमान द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग] को उनके आवेदन पत्र दिनांक 31-01-2007 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि दिनांक 01-11-2001 से 31-10-2003 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस तथा अगले दो वर्ष की खण्ड अवधि दिनांक 01-11-2003 से 31-10-2005 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 14 अगस्त 2007

क्रमांक 100/दो-2-29/2004.—श्री एच. एस. मरकाम, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (अम्बिकापुर), वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 16-11-2006 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2003 से 31-10-2005 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में दिनांक 28-03-2005 से प्रदान की जाती है.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.
